

बाईबैक वर्ष के संबंध में सूचना सलाह

प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि
31 जनवरी, 2019, 5:30 बजे अपराह्न
तिथि - 31.03.2019

सेवा में,

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.,
यूनिट: यूनिट - आरईसी लि. इंफ्रा बॉण्ड्स बाईबैक ऑफर सीरीज 1
बीटल हाउस, तीसरा तल,
99 मदानगीर, एलएससी के पीछे,
नई दिल्ली - 110062

संपर्क सूचना:
ई-मेल आईडी - recbonds1@gmail.com,
investorcell@recl.nic.in
दूरभाष संख्या: +91-011-29961281-83

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: यथा संशोधित आय कर अधिनियम, 1961, ("बॉण्ड") की धारा 80सीसीएफ के तहत लाभ वाली प्रतिभूति रहित, विमोचन योग्य, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की प्रकृति में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. ("कंपनी" अथवा "जारीकर्ता") द्वारा जारी प्रत्येक 5000 के अंकित मूल्य के "दीर्घावधि अवसंरचना बॉण्ड".

मेरे/हमारे पास कंपनी के बॉण्ड हैं और निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वापसी खरीद की सुविधा के संबंध में अपनी/हमारी प्राथमिकता दर्शाना चाहेंगे:

(क) वास्तविक स्वरूप में रखे गए बॉण्डों के मामले में (यदि बॉण्ड अप्रत्यक्षीकृत स्वरूप में रखे गए हैं, तो कृपया लागू नहीं विनिर्दिष्ट करें)

क्रम सं.	विवरण	सीरीज 1
1.	पंजीकृत फोलियो सं.	
2.	धारित बॉण्डों की संख्या	
3.	प्रमाणपत्र सं.	
4.	धारित बॉण्डों की विशिष्ट संख्या	से: तक:
5.	आबंटन की मानी गई तारीख से 8/9 वर्षों के बाद वापसी खरीद के लिए सहमति (कृपया वर्ष विनिर्दिष्ट करें)	----- वर्ष

महत्वपूर्ण: कृपया इस सूचना पत्र में विधिवत उन्मुक्त मूल बॉण्ड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(ख) अप्रत्यक्षीकृत स्वरूप में रखे गए बॉण्डों के मामले में (यदि बॉण्ड वास्तविक रूप में रखे गए हैं तो कृपया लागू नहीं विनिर्दिष्ट करें)

क्रम सं.	विवरण	सीरीज 1
1.	लाभग्राही डीमेट खाता सं.	
2.	धारित बॉण्डों की संख्या	
3.	आरईसी के डीमेट खाता संख्या में बाजार से बाहर व्यापार के माध्यम से बॉण्डों का अंतरण	आईएन300476-43000127
4.	आबंटन की मानी गई तारीख से 8/9 वर्षों के बाद वापसी खरीद के लिए सहमति	

महत्वपूर्ण: कृपया इस सूचना पत्र के साथ अपने डीपी द्वारा विधिवत स्वीकृत "अंतरण पर्ची" प्रस्तुत करें।

बॉण्डों की निबंधन एवं शर्तों के खंड 11.2 के अनुसार हम निम्नलिखित रूप में दर्शाए गए अनुसार वापसी खरीद का वर्ष सूचित करते हैं:

विवरण	पूर्ण/प्रथम बॉण्डधारक	द्वितीय बॉण्डधारक	तृतीय बॉण्डधारक
हस्ताक्षर (कंपनी में रिकार्ड किए गए नमूने के अनुसार)			
बॉण्डधारक का नाम			

टिप्पणी: 1) यदि उन बॉण्डधारकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है जिन्होंने बॉण्डों के आवेदन पत्र में वापसी खरीद वर्ष विनिर्दिष्ट नहीं किया है तो धनराशि आबंटन की मानी गई तारीख अर्थात 31.03.2020 से 09 वर्षों के बाद उन्मुक्त की जाएगी।

2) भुगतान की तारीख को धनराशि सीधे जमा करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि इस सूचना सलाह के साथ रद्द किया गया चैक प्रस्तुत किया जाए। इससे निवेशक को जमा होने में किसी विलंब से बचने में सहायता मिलेगी (डीमेट स्वरूप में बॉण्ड धारण करने वाले बॉण्डधारकों के लिए अपेक्षित नहीं)। डीमेट स्वरूप में बॉण्ड धारण करने वाले बॉण्डधारक अपेक्षित होने पर अपने जमाकर्ता प्रतिभागी के साथ बैंक अनिवार्यताएं अद्यतन करें।

3) टीडीएस आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार काटा जाएगा। बॉण्डधारकों को टीडीएस न काटने के लिए प्रपत्र 15जी अथवा 15एच प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि बॉण्ड डीमेट स्वरूप में हैं तो टीडीएस काटा जाएगा।